Research Paper | Social Science | E-ISSN No : 2454-9916 | Volume : 7 | Issue : 5 | May 2021

# JHARKHAND ME DIVYANG MAHILAO ME SHASHAKTIKARAN KI STHITI: EK VISHLESHAN ADHYAYAN

# झारखण्ड में दिव्यांग महिलाओं में सशक्तिकरण की स्थितिः एक विश्लेषण अध्ययन

Sangita Munda

शोध छात्रा, मानवशास्त्र विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची

**परिचय :**

आज के 21 वी सदी में दिव्यांग महिलाओं में महिला सशक्तिकरण की स्थिति व उनकी चुनौतियों बड़े व्यापक स्तर पर देखने को मिल रही है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या लगभग 48 प्रतिशत है। परन्तु महिलाएँ पुरूषों की तुलना में साक्षरता दर, श्रम की भागीदारी दर तथा आय अर्जन में भेदभाव की नीति से प्रभावित रही है। इन सामान्य महिलाओं की अपेक्षा दिव्यांग महिलाएँ तो कहीं ज्यादा प्रभावित हुई है। महिलाओं को प्रगति, विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का प्रतिपादन किया गया, ताकि भविष्य की रूप रेखा तैयार की जाय। न सिर्फ दिव्यांग महिलाएँ बल्कि समस्त महिलाओं के साथ हरैक तरह का भेदभाव समाप्त करने कानून प्रणाली सहित मौजूदा संस्थाओं की सशक्त बनाने स्वास्थ्य सम्बन्धी देखरेख और अन्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच उपलब्ध कराने, निर्णय लेने के क्रम में महिलाओं की भागीदारी के समान अवसर उपलब्ध कराने की विकास की प्रक्रिया में महिलाओं से जुड़े सरोकारों को मुख्य धारा में लाने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किये गये (भारत 2015 पृष्ठ सं. 850) महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु केन्द्र सरकार ने 2010 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की शुरूआत की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के सम्पूर्ण सशक्तिकरण है। वस्तुतः सत्तर के दशक में महिला कल्यान दशक अस्सी के दशक में महिला विकास दशक तथा नब्बे के दशक में महिला सशक्तिकरण दशक के रूप में घोषित किया। महिला सशक्तिकरण के सम्बन्ध में लागू की गई, प्रमुख नीतियों मे निर्भया फण्ड (2013–14) स्वयं सिद्ध–स्वयं सहायता समूह, स्वशक्ति प्रोजेक्ट (1998) स्वालम्बन, कार्यकारी महिलाओं के लिये होस्टल (1972) स्वाधार (2001–02), शिक्षा सहयोग योजना (2001), राष्ट्रीय महिला कोष (1993), इन्दिरा महिला योजना (1995–96), बालिका समृद्धि योजना (1997), किशोरी शक्ति योजना, किशोरियों के लिये पोषाहार कार्यक्रम इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (2011), राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला संघटक योजना (2000), नई धनलक्ष्मी (2008), बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं (2015), नई रोशनी (2014–15), महिला किसान सशक्तिकरण योजना (2015), स्वाधार (2001–02), जेंडर बजटिंग आदि। वही दूसरी ओर महिलाओं से सम्बधित अनेक कानून की बनाये गये हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलता है। मुख्य रूप से अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम, 1956 (1986 में संशोधित) महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक कानून, 1986, दहेज निरोधक कानून 1961 (1986 में संशोधित), सती प्रथा (निरोध) अधिनियम 1987, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 घरेलू महिला हिंसा विधेयक, 2005 आदि।

आजादी के 75 वर्षों के बाद की दिव्यांग महिलाएँ आज भी समाज के हाशिये पर खड़ी है एवं आत्मनिर्भरता से काफी दूर है। जनगणना रिपोर्ट 2011[2] के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि देश की कुल आबादी का 2.21 प्रतिशत भाग दिव्यांग है। जहाँ दिव्यांग 1,18,243,55 हैं तथा देश के कुल दिव्यांगों का 3 प्रतिशत भाग झारखण्ड राज्य में निवास करता है। झारखण्ड के कुल दिव्यांग महिलाओं की स्थिति को निम्न तालिका से समझा जा सकता है।

**तालिका सं–1**
**शीर्षक : झारखण्ड दिव्यांगों की संख्या**

| आयु समूह | पुरूष | महिला | कुल |
|---|---|---|---|
| 0-4 | 24,406 | 22,049 | 46,455 |
| 5-9 | 36,416 | 31,011 | 87,427 |
| 10-19 | 79,989 | 64,781 | 1,44,770 |
| 20-29 | 63,708 | 48,215 | 1,11,927 |
| 30-39 | 55,563 | 39,576 | 95138 |
| 40-49 | 49,573 | 33,599 | 83,172 |
| 50-59 | 39,482 | 30,550 | 70,032 |
| 60-69 | 42,582 | 39,501 | 82,083 |
| 70-79 | 23,450 | 22483 | 45,933 |
| 80-89 | 7,680 | 7,530 | 15,218 |
| 90+ | 2,153 | 2,297 | 4,450 |
| अज्ञात आयु वर्ग | 1,874 | 1,505 | 3,379 |
| कुल | 4,26,876 | 3,43,104 | 7,69,980 |

स्त्रोत : जनगणना रिपोर्ट 2011

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य में कुल दिव्यांग महिलाओं की संख्या 343104 है, जिनमें सर्वाधिक 10–19 आयु समूह की महिला दिव्यांग है, तदुपरान्त 20–29 आयु समूह के है। तात्पर्य ये कि सर्वाधिक दिव्यांग महिलाओं में युवा वर्ग की आबादी ज्यादा है।

संयुक्त राष्ट्र के लैगिंक असमानता सूचकांक (जी.आई.आई 2011) में दुनियाँ के 187 देशों के भारत 134 वें पायदान पर रहा जो लैगिंक असमानता में भारत की दयनीय स्थिति को उजागर करता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) द्वारा 2012 में वैश्विक रोजगार की प्रवृत्तियाँ पर जारी रिपोर्ट के अनुसार 131 देशों में भारत की शहरी महिला श्रमिक शक्ति दर 15 फीसदी के साथ दुनिया भर में नीचे से 11 वें स्थान पर रहा।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की 2011 की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि लगभग 20 प्रतिशत शहरी महिलाएँ घरेलु सहायिता, सफाई, कर्मचारी, विक्रेता फेरी वाले एवं दुकानों में सेल्सगर्ल के रूप में काम करती है। जबकि 43 प्रतिशत महिलाऐं स्वनियोजित कार्य करती है, तथा 46 प्रतिशत मासिक वेतन पर काम करने वाली शहरी महिलाओं के लिये सामाजिक सुरक्षा एवं रोजगार लाभ तय नहीं है। जनगणण रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत पुरूषों के मुकाबले महिलाओं में साक्षरता दर का प्रतिशत 65.46 प्रतिशत हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक की विशेषज्ञ मीरा चटर्जी के स्पायरिंग लाइव्स रिपोर्ट के आधार

पर कहा जा सकता है कि भारत में 15–18 साल की उम्र की 51.4 प्रतिशत महिलाएँ खून की कमी से जुझ रही है। जबकि इसी आयु वर्ग में 41 प्रतिशत महिलाएँ पोषण के अभाव में कम वजन की समस्या से जुझ रही है।

झारखण्ड की दिव्यांग महिलाओं में सुरक्षा शिक्षा स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि आज भी वह सशक्त नहीं हो पाती है।

**पूर्ववत्ती साहित्यों का पूर्वालोकन :**
प्रस्तुत शोध परक आलेख में इससे पूर्व प्रकाशित कई द्वितीय स्त्रोंतो के ऑकड़े उपलब्ध है। प्रकाशित पुस्तक, आलेख, दैनिक अखबार, पत्र व पत्रिकाओं का भी अध्ययन किया गया है–

नीलम मकौल (2003)[3] जनसंख्या और संबंधित नीतियों से स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना के असंतुलित होने के खतरे बढ़ते जा रहे है, जिसका मुख्य कारण जनसंख्या का तीव्र गति से वृद्धि है, जिससे देश में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। पश्यंती शुक्ला (2016)[4] के लेख भारत में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति से स्पष्ट होता है कि समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाये जाने के लिये अभी भी अनके प्रयास करने की आवश्यकता है।

आर्थिक क्षेत्र में महिलाएँ अभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकी है। महिलाओं के लिये उपलब्ध काननों का सही रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। संध्या लिमये (2016)[5] के लेख विकलांगजनों का सामाजिक समावेशनः मुद्दे और रणनीतियाँ'' के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विकलांगजनों को व्यवहारिक, शारीरिक और सामाजिक स्तर पर बाधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। जिससे सामाजिक समावेशन प्रभावित होता है।

दीपक रंजन (2016)[6] के लेख विकलांगजनों : शारीरिक पुर्नवास व संस्थागत प्रयास के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विकलांगता के मसले को समझने के साथ–साथ विकलांग व्यक्तियों की प्रतिष्ठा, अधिकारों और उनके हित के बारे में सोचना जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 में भी विकलांगजनों के समग्र विकास पर जोर दिया गया है।

**उद्देश्य :**
प्रस्तुत शोध आलेख के अध्ययन का उद्देश्य निम्न है–

1. दिव्यांग महिलाओं की स्थिति को जानना।
2. दिव्यांग महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों के प्रभाव को जानना।

**उपकल्पना :**
1. दिव्यांग महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय व निम्न है।
2. दिव्यांग महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों का प्रभाव समुचित तरीके से नहीं पड़ा है।

**अध्ययन क्षेत्र :**
प्रस्तुत शोध आलेख का अध्ययन क्षेत्र झारखण्ड राज्य के 24 जिलों में से एक राँची जिले के खलारी प्रखण्ड के मायापुर पंचायत के दिव्यांग महिलाओं में सशक्तिकरण को आधार बनाकर किया गया है। इस पंचायत में सभी धर्मो, जाति व समुदाय के लोग निवास करते है।

यह क्षेत्र जनजातिय बहुल है, यहाँ यातायात की सुविधा प्रविहन की सुविधा तथा सभी भाषा भाषियों एवं संस्कृतियों के लोग है। परन्तु मुख्य व्यवसाय खेती है, यहाँ की मुख्य फसल धान, मकई, गेहूँ, सरसों है। यहाँ पहुँचने का प्रमुख साधन सड़क मार्ग एवं रेलमार्ग की सुविधा है। यह क्षेत्र राजधानी शहर राँची सं0 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

**अध्ययन विधि एवं तकनीकी :**
प्रस्तुत शोध परक अध्ययन के लिये खलारी प्रखण्ड के मायापुर पंचायत के पाँच गाँवों से 30 दिव्यांग महिलाओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली के तहत करते हुए, आनुभाविक अध्ययन विधि के तहत, असहभागी अवलोकन का प्रयोग किया गया। तथ्यों का संकलन अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक स्त्रोत के रूप में तथा द्वितीय स्त्रोत के रूप में पूर्व से प्रकाशित पुस्तक, शोध आलेख दैनिक अखबार तथा पत्र पत्रिकाओं का उपयोग किया गया है। सांख्यिकी विधि से आँकड़ों का संकलन व विश्लेषण करते हुए प्राप्त परिणाम के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया।

**तथ्य विश्लेषण एवं परिणाम :**
प्रस्तुत शोध परक आलेख हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोंतो से प्राप्त आँकड़ों का सांख्यिकीय रूप से विश्लेषण के उपरान्त निम्न परिणाम सामने आया।

1. शत प्रतिशत उत्तरदाता दिव्यांग महिला है।
2. 88 प्रतिशत दिव्यांग महिला 20 से 30 पर्ष आयु समूह के है।
3. 74 प्रतिशत दिव्यांग महिला अविवाहित है।
4. 76 प्रतिशत दिव्यांग महिला हिन्दु धर्म से है।
5. 71 प्रतिशत दिव्यांग महिला नग्न मैट्रिक है।
6. 70 प्रतिशत दिव्यांग महिलाओं की मासिक आय 5000 रूपया से कम है।
7. 56 प्रतिशत मंदबुद्धिता रूप से विकलांग महिला है।
8. 70 प्रतिशत दिव्यांग महिलाओं को विकलांग पेंशन मिलता है।
9. 90 प्रतिशत दिव्यांग महिलाओं का कोई निर्णय परिवार में नहीं माना जाता है।
10. 90 प्रतिशत दिव्यांग महिला अपने को असक्त यानी कमजोर पाती है।
11. 98 प्रतिशत दिव्याग महिला वैधानिक और राजनीतिक अधिकार का उपयोग नहीं कर पाती हैं।
12. 90 प्रतिशत दिव्यांग महिलाएँ सामाजिक और सांस्कृति रूप से सशक्त नहीं हो पायी हैं
13. 80 प्रतिशत दिव्यांग महिलाएँ सरकार की विभिन्न योजनाओं से वंचित है।

**निष्कर्ष :**
निष्कर्षत : कहा जा सकता है कि झारखण्ड में दिव्यांग महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय है। अशिक्षा निरक्षरता संवेधानिक तथा कानूनी प्रावधानों की जानकारी का घोर अभाव अधिकारों से अनभिज्ञता, आर्थिक स्वालम्बन का सख्त अभाव सार्वजनिक जीवन में सीमित सहभागिता, निर्णय लेने की अक्षमता आदि विद्यमान है। अधिकांशतः हिन्दु धर्म से सम्बंधित 20 से 30 वर्ष आयु समूह की थे दिव्यांग महिलाएँ मंदबुद्धिता से

शिकारग्रस्त हे। इनकी मासिक आय काफी कम है, और सरकार द्वारा प्रदत्त विकलांग पेंशन ही इनका एकमात्र आय का साधन है। वैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से काफी कमजोर और असशक्त है। सरकारी योजनाओं से भी ये लाभान्वित नहीं हो पा रही है। दिव्यांग महिलाओं की स्थिति में सुधार लाए जाने के लिऐ अभी भी अनेक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि सरकार के प्रयासों में महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को पहले की अपेक्षा बेहतर स्थिति में पहुँचाया है लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उपलब्ध कानूनों का सही क्रियान्वयन किया जाय ताकि दिव्यांग महिलाएँ अपने अधिकारों व सरकारी कार्यक्रमों को जानकर सशक्त हो सके।

## संदर्भ सूची


I. जनगणना रिपोर्ट 2011, भारत सरकार

II. भारत 2020 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली

III. निशांत मिनाक्षी सिंह 'महिला सशक्तिकरण का संघ आयोग पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2006

IV. कमलेश कुमार गुप्ता : महिला सशक्तिकरण, बुक एनक्लेव प्रकाशन, जयपुर, 2007

V. रमा शर्मा, एम.के. मिश्रा : महिला और मानवधिकार, अर्जून पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2010

VI. संध्या लिमये : विकलांगजनों का सामाजिक समावेशनः मुद्दे और राजनीतियाँ, योजना, मई, 2016

VII. इंदूमति राव : विकलांगजन : शैक्षिक अधिकार व अवसरों का उन्नयन, योजना, मई, 2016

VIII. पश्यंती शुक्ता : भारत में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति, कुरूक्षेत्र, जनवरी, 2016

IX. संजय श्रीवास्तव : महिला सशक्तिकरण की बदलती तस्वीर, कृरूक्षेत्र, जनवरी, 2016,

X. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 1995

XI. आशा कौशिकः ''नारी सशक्तिकरण : विमर्श एवं यथार्थ'' पोइन्टर पब्लिकेशन, जयपुर